दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार 08 अप्रैल 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 189

महत्वपूर्ण एवं खास

ट्रेन में आग लगाने का आरोपी न्यायिक हिरासत में

कोझिकोड (आरएनएस)। केरल के कोझिकोड में चलती ट्रेन में यात्रियों पर पेट्रोल छिडक़र आग लगाने के आरोपी शाहरुख सैफी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुंसिफ मजिस्ट्रेट जज ने कहा कि आरोपी शाहरुख सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सा उपचार के अधीन रहेगा। बता दें कि मामले में आगे की कार्रवाई के लिए शहर के पुलिस आयुक्त राजपाल मीणा और मुंसिफ मजिस्ट्रेट जज सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां कोझिकोड ट्रेन अग्निकांड का आरोपी शाहरुख सैफी भर्ती है। आरोपी शाहरुख को महाराष्ट्र की एटीएस ने केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की सहायता से गिरफ्तार किया था। उसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी से पकड़ गया था। इसके बाद एटीएस ने आरोपी को केरल पुलिस को सौंप दिया। जांच एजेंसी का कहना है कि इस घटना के पीछे कोई आतंकी साजिश भी हो सकती है।

संशोधित घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश मंजूर होने से उपभोक्ताओं को मिलेंगे कई लाभ : पीएम मोदी

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संशोधित घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों को मंजूरी दिए जाने से उपभोक्ताओं के लिए कई लाभ होंगे और यह इस क्षेत्र के विकास के लिए एक सकारात्मक कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए बुधवार को संशोधित घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी। नए दिशानिर्देशों के तहत अब प्राकृतिक गैस की कीमत भारतीय कच्चे तेल के दाम के मासिक औसत का 10 प्रतिशत होगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, संशोधित घरेलू गैस मूल्य निर्धारण से संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णय से उपभोक्ताओं के लिए कई लाभ हैं। यह इस क्षेत्र के विकास के लिए एक सकारात्मक कदम है।

गरीब कैदियों को न्याय दिलाने में मदद करेगी मोदी सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। मोदी सरकार गरीब कैदियों की मदद के लिए आगे आई है। सरकार अब ऐसे कैदियों को आर्थिक मदद देगी जो धनाभाव के कारण जुर्माने की राशि नहीं चुका पाने की वजह से जमानत या जेल से रिहा होने में असमर्थ हैं। इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि जेलों में बंद ऐसे कैदी जो जुर्माना या जमानत राशि वहन करने में असमर्थ होने के कारण जेलों से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। केन्द्र सरकार ऐसे कैदियों को आर्थिक मदद करेगी और उन्हें न्याय दिलवाने में सहयोग करेगी। मंत्रालय के अनुसार कैदियों की मदद के लिए बनाई गई योजना की व्यापक रूपरेखा को संबंधित हितधारकों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है, जिसके तहत भारत सरकार, उन गरीब कैदियों को राहत देने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो आर्थिक तंगी के कारण जुर्माना नहीं चुका पाने की वजह से जमानत या जेल से रिहा होने में असमर्थ हैं। प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए और गरीब कैदियों तक लाभ की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान अमल में लाए जाएंगे। जिसके तहत ई-प्रिजन प्लेटफार्म को सशक्त बनाया जाएगा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मजबूत किया जाएगा।

बेमौसम बारिश से गेहूं फसल को कुछ नुकसान की आशंका, पर उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहेगा : सरकार

नईदिल्ली (आरएनएस)। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि हाल में खराब मौसम के कारण गेहूं के उत्पादन में 10 से 20 लाख टन तक की कमी आने की आशंका है लेकिन रकबा अधिक होने और ज्यादा उपज के कारण कुल उत्पादन चालू वर्ष में रिकॉर्ड 11.22 करोड़ टन तक पहुंच जाएगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (रूस्क्क) पर सरकार की गेहूं खरीद चल रही है और अब तक लगभग सात लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। यह एक साल पहले की समान अवधि में दो लाख टन की हुई खरीद से कहीं अधिक है। केंद्र ने आटा चक्कियों से कहा है कि वे खुले बाजार बिक्री योजना (ह्रूस्स्) के तहत सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय खाद्य निगम (स्नष्टढ़ढ़) से स्टॉक मांगने के बजाय अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीधे किसानों से खरीद करें।

सरकार ने बंपर उत्पादन को देखते हुए गेहूं उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की उद्योग की मांग को भी खारिज कर दिया। आटा चक्की चलाने वाली इकाइयों के संगठन रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक कार्यक्रम में गेहूं फसल के एक निजी अनुमान को जारी करते हुए खाद्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि पिछले साल सरकार और उद्योग द्वारा व्यक्त किये गये गेहूं उत्पादन के अनुमानों में अंतर था।

हालांकि इस साल फसल अनुमानों में कुछ समानताएं हैं। पहली सामान्य बात यह है कि गेहूं के रकबे में 3-5 फीसदी की वृद्धि हुई है, दूसरी समानता बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से लगभग 10-20 लाख टन उत्पादन का नुकसान होने के संदर्भ में है। तीसरी, समान बात यह है कि दोनों अनुमानों में पिछले साल के मुकाबले 50-55 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन होने का अनुमान है।

उन्होंने कहा, 'उत्पादन पिछले साल के सरकारी अनुमान से 50-55 लाख टन अधिक होगा।' इसका मतलब है कि कुल गेहूं उत्पादन फसल वर्ष 2022-23 (जुलाई-जून) के लिए निर्धारित रिकॉर्ड 11.22 करोड़ टन के स्तर पर पहुंच जाएगा और इस स्तर को भी पार कर सकता है।

शुरू में एग्रीवॉच ने वर्ष 2022-23 के लिए 10 करोड़ 42.4 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया था, जबकि पिछले वर्ष यह उत्पादन 9.77 करोड़ टन का हुआ था। हालांकि, बाद में इसने बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान को ध्यान में रखते हुए अनुमान को घटाकर 10.29 करोड़ टन कर दिया।

फसल वर्ष 2021-22 (जुलाई-जून) में, कुछ उत्पादक राज्यों के कुछ हिस्सों में लू के कारण गेहूं का उत्पादन 18.4 लाख टन घटकर 10 करोड़ 77.4 लाख टन रह गया था। नतीजतन, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सरकार की खरीद घटकर 1.9 करोड़ टन रह गई।

अतिरिक्त सचिव ने कहा कि सर्वेक्षण महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दुनिया भर में गेहूं की कीमतें बढ़ी हैं। उत्पादन भिन्न होता है और निर्यात और ह्रूस्स् पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए अनुमान का होना काफी महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने जा रही है और उपलब्धता पिछले साल की तुलना में बेहतर रहेगी।

अतिरिक्त सचिव ने कहा कि हाल की बारिश के कारण गुणवत्ता में कमी आई है, सरकार ने मध्य प्रदेश में खरीद के मानदंडों में ढील देने का सही समय पर निर्णय लिया है। वहां उत्पाद के चमक नुकसान के साथ अनाज एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सरकारों के ऐसे ही अनुरोधों पर विचार कर रही है।

अधिकारी ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि इस साल सरकारी खरीद बेहतर होगी। हमारे पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बाजार के हस्तक्षेप को पूरा करने के लिए स्टॉक की पर्याप्त आपूर्ति रहेगी।' उन्होंने यह भी कहा कि निर्यात प्रतिबंध और खुले बाजार बिक्री योजना (ह्रूस्स्) के माध्यम से थोक उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर अनाज की बिक्री के कारण वर्तमान में गेहूं और आटा जैसे गेहूं उत्पादों की घरेलू कीमतों में गिरावट आई है।

इस मौके पर, भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा ने कहा कि अब तक लगभग 7 लाख टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जो कि एक साल पहले की अवधि में हुई 2 लाख टन की खरीद से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि इस साल 342 लाख टन खरीद का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।'

आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामला : भोजपुरी गायक समर सिंह गाजियाबाद से गिरफ्तार

गाजियाबाद (आरएनएस)। भोजपुरी गायक समर सिंह को वाराणसी व गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने नंदग्राम थाना इलाके में राज नगर एक्सटेंशन इलाके की हाई राइज कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। उस पर भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

समर सिंह नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन स्थित चार्म्स क्रिस्टल सोसायटी में छिपा था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वह गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और उत्तराखंड में लगातार ठिकाने बदल-बदल कर रह रहा था।

26 मार्च को आकांक्षा सारनाथ क्षेत्र के बुद्धा सिटी कॉलोनी स्थित एक होटल के कमरा नंबर 105 में मृत मिली। वह अपने बेड पर बैठी हुई थी और उनके गले पर पंखे के हुक के सहारे दुपट्टे का फंदा था। इसके बाद आकांक्षा दुबे की मां ने समर सिंह पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि समर चाहता था कि आकांक्षा सिर्फ उसके साथ ही फिल्म और गाने में काम करे। काम करने पर वह पैसे भी नहीं देता था। किसी और के साथ काम पर जाती थी तो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था और मारता-पीटता था।

उन्होंने भोजपुरी गायक समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह पर प्रताड़ित करने समेत अन्य आरोप लगाकर तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। समर सिंह मूलरूप से आजमगढ़ के मेहनगर का रहने वाला है। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से वह फरार था। तभी से पुलिस उसको तलाश रही थी।

मानव-हाथी संघर्ष की जिम्मेदारी मानव समाज पर है : राष्ट्रपति मुर्मू

गुवाहाटी (आरएनएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन किया और कहा कि मानव-हाथी संघर्ष की जिम्मेदारी मानव समाज पर है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर कहा कि हमारी परंपरा में हाथियों का सबसे अधिक सम्मान दिया गया है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यह भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। इसलिए, हाथियों की रक्षा हमारी राष्ट्रीय विरासत को संरक्षित करने की हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि मानव-हाथी संघर्ष सदियों से एक मुद्दा रहा है और जब हम इस संघर्ष का विश्लेषण करते हैं, तो यह पाया जाता है कि प्राकृतिक आवास या हाथियों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न होना मूल कारण है। इसलिए, इस संघर्ष की जिम्मेदारी मानव समाज की है।

राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि हाथियों की रक्षा, उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण और हाथियों के गलियारों को बाधा से मुक्त रखना प्रोजेक्ट एलीफेंट का मुख्य उद्देश्य है। मानव-हाथी संघर्ष से संबंधित समस्याओं का समाधान भी इस परियोजना का उद्देश्य है।

राष्ट्रपति ने कहा कि असम के काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की अमूल्य धरोहर हैं। इसीलिए इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है।

आगे कहा कि असम में देश में जंगली हाथियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। इसलिए, गज उत्सव के आयोजन के लिए काजीरंगा एक बहुत ही उपयुक्त स्थान है। प्रोजेक्ट हाथी और गज उत्सव की सफलता के लिए सभी हितधारकों को एक साथ मिलकर आगे बढऩा होगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि जो कार्य प्रकृति, पशु-पक्षियों के हित में हैं, वही मानवता और धरती माता के हित में भी हैं। हाथी अभ्यारण्य के जंगल और हरित क्षेत्र बहुत प्रभावी कार्बन सिंक हैं।

उन्होंने कहा कि हाथियों के संरक्षण से हम सभी को लाभ होगा और इससे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में भी मदद मिलेगी। ऐसे प्रयासों में सरकार के साथ-साथ समाज की भागीदारी आवश्यक है।

तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में निकले 5 हजार से अधिक केस

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,050 नए मामले आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढक़र 4,47,45,104 हो गई है। पिछले 203 दिन में सामने आए ये सर्वाधिक दैनिक मामले हैं। अब उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढक़र 28,303 पर पहुंच गई है।

देश में पिछले साल 16 सितंबर को संक्रमण के 6,298 दैनिक मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में तीन, कर्नाटक तथा राजस्थान में दो-दो और दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर तथा पंजाब में एक-एक मरीज की मौत के बाद देश में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढक़र 5,30,943 हो गई। साथ ही, संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुन:मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में एक नाम और जोड़ा है। इस आंकड़े के मुताबिक, देश में अभी 28,303 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.6 प्रतिशत है।

मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.75 प्रतिशत है। देश में संक्रमण की दैनिक दर 3.39 प्रतिशत और साप्ताहिक दर 3.02 प्रतिशत है। अभी तक कुल 4,41,85,858 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.66 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी हैं।

राज्यों को दी अस्पतालों में मॉक ड्रिल रिव्यू की सलाह

कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। ऐसे में देश में बढ़ते नए मामलों को लेकर केंद्र भी अलर्ट हो गया है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना की स्थिति को लेकर हाई लेवल बैठक की। जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ रिव्यू किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अस्पतालों में मॉक ड्रिल का रिव्यू करने और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रमुख सचिवों/अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें राज्यों को सतर्क रहने और कोविड-19 प्रबंधन के लिए पूरी तैयारी रखने की सलाह दी। केंद्र ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से 10 और 11 अप्रैल को सभी अस्पतालों के रिव्यू के लिए मॉक ड्रिल करने और 8 और 9 अप्रैल को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने का सलाह दी है। इसके अलावा मंत्री मांडविया ने कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ कोविड गाइडलाइन पर फोकस करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें सतर्क रहना है और डर नहीं फैलाना है। मौजूदा वक्त में ओमिक्रॉन का सब-वैरिएंट देश में फैल रहा है। इसमें मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है। बैठक के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि कुछ राज्यों में कोरोना के कुछ मामले सामने आने लगे हैं, हमने निवेदन किया है कि देश के स्तर पर कोई एसओपी जारी करें ताकि इसे समय रहते रोका जाए।

अज्ञात वाहन ने तीन को रौंदा, दो की मौत, एक गम्भीर

सुल्तानपुर (आरएनएस)। लखनऊ-बलिया मार्ग पर मोतिगरपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम अज्ञात वाहन ने तीन लोगों को रौंद दिया। जिसमें दो की घटनास्थल पर मौत हो गई। तीसरे युवक की भी हालत नाजुक है, उसे जिला अस्पताल से ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है।

घटना लखनऊ बलिया मार्ग पर मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर कला गांव की है। मोतिगरपुर थानाक्षेत्र के डड़वाकला निवासी उनीश (15) पुत्र शीतला प्रसाद, अंकित (18) पुत्र शिव सागर व सचिन (17) पुत्र दिनेश बाइक से गुरुवार की शाम कादीपुर की तरफ जा रहे थे। अभी वह लखनऊ-बलिया मार्ग पर मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर कला गांव के पास पहुंचे थे कि विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें रौंद दिया। हादसे में सचिन और अंकित की घटनास्थल पर मौत हो गई। जबकि उनीश गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष मोतिगरपुर राजकुमार वर्मा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से घायल अवनीश को सीएचसी मोतिगरपुर ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उसके बाद घायल को लखनऊ रेफर किया गया है। घटना से दोनों किशोर के परिवार में कोहराम मच गया है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण दिसंबर तक हो जाएगा पूरा

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण इस साल दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा. यह एक्सप्रेसवे 212 किलोमीटर लंबा है और इसकी निर्माण लागत 12,000 करोड़ रुपये है. सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि छह लेन वाली दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे नई परियोजना का 60-70 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है.

गडकरी ने पांचवें अयोध्या पर्व को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण इस साल दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद लोग दिल्ली से देहरादून सिर्फ दो घंटों में जबकि दिल्ली से हरिद्वार सिर्फ 90 मिनट में पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बृहस्पतिवार को एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया था. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, एक्सप्रेसवे को चार खंडों में विभाजित किया गया है और इसे दिल्ली में अक्षरधाम के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे (डीएमई) के शुरुआती बिंदु से शास्त्री पार्क, खजूरी खास, बागपत, शामली, सहारनपुर से उत्तराखंड में देहरादून तक बनाया जा रहा है.

बयान के अनुसार, समूचे एक्सप्रेसवे के निर्माण में कई विशेष प्रावधान किए गए हैं, और इनमें गणेशपुर से देहरादून तक का मार्ग वन्यजीवों के लिए सुरक्षित किया गया है. बयान के अनुसार, इसमें 12 किलोमीटर की एलिवेटेड सडक़, छह पशु अंडरपास, दो हाथी अंडरपास, दो बड़े पुल तथा 13 छोटे पुलों का प्रावधान है.

पाकिस्तान में हिन्दुओं की शादी को लेकर अधिसूचना जारी

❐ पंडितों को दिखाना होगा चरित्र प्रमाण पत्र

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में प्रशासन ने हिंदू विवाह अधिनियम- 2017 को पारित कर दिया है और करीब 5 साल बीतने के बाद इसके नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की गई है।

इस्लामाबाद प्रशासन के इस अधिसूचना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को हिन्दू रीति-रिवाजों के मुताबिक शादी करने की इजाजत दी गई है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद प्रशासन के अधिसूचना जारी करने के बाद अब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी 2017 में पारित विवाह अधिनियम के कार्यान्वयन का रास्ता खुल गया है।

डॉन के मुताबिक, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी हिंदू मैरिज रूल्स 2023 शीर्षक वाली अधिसूचना जारी की गई है। आईसीटी प्रशासन के एक अधिकारी ने डॉन को बताया है, कि अधिसूचना कार्यान्वयन के लिए संघीय क्षेत्र की सभी केंद्रीय परिषदों को भेज दी गई है।

हिन्दुओं की शादी को लेकर नये नियम- नियमों के मुताबिक, इस्लामाबाद में हिन्दुओं की विवाहों को एक महाराज पंजीकृत करेंगे। इस महाराज का कोई पंडित होना आवश्यक होगा और उस शख्स का हिन्दू धर्म का पर्याप्त ज्ञान होना और उसका पुरुष होना, जरूरी शर्त रखी गई है।

अधिसूचना में कहा गया है, कि ये पंडित सिर्फ हिन्दू होगा और कोई मुस्लिम शख्स, पंडित का काम नहीं कर सकता है।

इसके साथ ही, अधिसूचना में कहा गया है, कि जो भी शख्स पंडित या महाराज बनेगा, उसे अपना चरित्र प्रमाण पत्र स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करवाना होगा। इसके साथ ही, उसे हिन्दू समुदाय के कम से कम 10 सदस्यों से लिखित स्वीकृति लेनी होगी। इसमें कहा गया है, कि मुस्लिमों के विवाह के लिए भी पंजीकृत निकाह-खावां का होना जरूरी है और जो मौलाना निकाह करवाएगा, उसे अपना चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस स्टेशन में जमा करवाना होगा। उसके बाद ही कोई मौलाना, या कोई पंडित, विवाह प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। इसके साथ ही, सभी विवाह, संघ परिषदों में भी पंजीकृत होंगे। पंडितों के शुल्क पर भी नियम इस्लामाबाद प्रशासन करे अधिसूचना में कहा गया है, कि विवाह करवाने के लिए महाराज या पंडित, वही शुल्क लेंगे, जो सरकार तय करेगी। इसके अलावा वो विवाह संपन्न कराने के लिए कोई और शुल्क नहीं लेगा। वहीं, किसी महाराज की मृत्यु या उसका लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में, उसके द्वारा रखा गया विवाह रिकॉर्ड संबंधित काउंसिल में जमा करवाया जाएगा और बाद में नये महाराज की नियुक्ति होने के बाद वो रजिस्टर उन्हें सौप दिया जाएगा। इसके साथ ही, विवाह अधिनियम के अनुच्छेद-7 में हिन्दुओं के विवाह संबंधित विवाद को लेकर वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के तहत अदालतों का दरवाजा खटखटाने की भी इजाजत दी गई है। अधिसूचना है काफी महत्वपूर्ण नियमों का मसौदा तैयार करने वाले आईसीटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी महफूज पिराचा ने डॉन को बताया, कि यह अधिसूचना अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।